.... गिरीशपाल .... बनाम .... मंगलाराम ....

किस्म मुकदमा .... 225 .... मु. नं0 ......13...... वर्ष ...2018...

दिनांक	आज्ञा पत्र	
1.2.2018	अपील दर्ज रजिस्टर हो ।स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलान्ट को सुना गया । वकील अपीलान्ट ने अपने कथनों में निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 77, 83, 84 85, 87, 89, 90, 91, 91/283, 92, 93, 258, 259 से 266कुल किता-20 रकबा 32.85 हैक्टर वाके ग्राम सवाई लक्ष्मणपुरा में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0-16 से 18 का 1/4 हिस्सा है जिसकी अलग सींव नींव कायम कर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0-16 से 18 काबिज है । इसके बाद भी अदालत मातहत ने हमे बिना सुनवाई का अवसर दिये विवादित आराजी की मौका स्थिति यथावत रखने एवे निर्माण कार्य के लिये पाबन्द किया है । जबकि विवादित आराजी के हम रेकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है जिनको अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता विवादित आराजी का मौके पर बाहमी बंटवारा होकर अपने अपने हिस्से पर काबिज है ।रेस्पोडेन्ट स सं0-1 व 2 ने उक्त आराजी में केवल ख0नं0 266 सम्पूर्ण व ख0नं0 261 की 0.4050 हैक्टर भूमि पर ही अपना कब्जा बताया है। इसके अलावा शेष आराजीयात पर अदालत मातहत ने अपना कोई कब्जा नहीं बताया है इसके बाद भी अदालत मातहत ने सभी खसरा नम्बरों पर स्थगन आदेश जारी करने में कानूनी भूल की है । अन्तरिम आदेश के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय में अपील का प्रावधान है जिसके लिये आरआरटी 2014(।) पेज 265 पेश कर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अदालत मातहत के आदेश की क्रियान्विति को स्थगित किये जाने का निवेदन किया । बहस बगौर समाहत की गई । अदालत मातहत के निर्णय एवं प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया ।	

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

Web Copy Not Official

अदालत मातहत ने दिनांक 2-01-2018 को अपना अन्तरिम आदेश पारित कर पक्षकारों को आगामी पेशी दिनांक 6-2-2018 दी गई तथा आदेश में विवादित आराजी की मौका स्थिति मंगाने के लिये आई०एल०आर० को मौका कमिश्नर नियुक्त किया है तथा अदालत मातहत ने आगामी पेशी तक उक्त विवादित आराजी पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं करने व मौका की यथास्थिति के आदेश पारित किये है । अदालत मातहत का अन्तरिम आदेश है जिसमें आदेश-39 नियम-3क के प्रावधानों की पालना किया जाना भी सुनिश्चित किया है । अदालत मातहत का अन्तरिम आदेश है जिसमें आगामी पेशी दि० 6-2-2018 नियत है । अदालत मातहत का निर्णय अन्तरिम आदेश होने से तथा प्रकरण में आगामी पेशी 6-2-18 नियत है जिसमें मौके की स्थिति भी आई०एल०आर० से मंगवाई गई है ।अदालत मातहत का यह आदेश विधि संगत है । इस आदेश में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते हैं । तथा अपीलान्ट की अपील को आंशिक स्वीकार कर अदालत मातहत को इसी स्तर पर रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं ।

अतः अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह पक्षकारों को सुनकर आदेश-39 नियम-3क की पालना करते हुये प्रकरण का 30 दिन में (प्रार्थना पत्र 212 आर०टी०ए०) अन्तिम रूप से निस्तारण करें । तथा अपीलान्ट अपना जबाब प्रार्थना पत्र नियत पेशी पर अदालत मातहत में पेश करें । पक्षकार अदालत मातहत में नियत पेशी पर उपस्थित होवें ।

निर्णय सुनाया गया ।

(हस्ताक्षर)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं